



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
गोठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/16

निर्णय दिनांक:- 05-09-2019

1. चेतनराम पुत्र बालूराम जाति नायक निवासी महादेववाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 04-01-2016 जिला कलेक्टर, बीकानेर  
व आदेश दिनांक 07-10-2015 तहसीलदार, छत्तरगढ़

उपस्थिति :-

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 04-01-2016 व तहसीलदार, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 07-10-2015 जिसके द्वारा अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास व 50 गुना तावान कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को रोही महादेववाली के खसरा नम्बर 33 में तादादी 17 बीघा राजकीय/गोचर भूमि पर नाजायज अतिचार मानते हुए तहसीलदार छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट के विरुद्ध मानमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-10-2015 द्वारा 50 गुना तावान कायम

करते हुए व तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर कोई गौर किये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तथ्य साबित था कि अपीलांट द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है ऐसीस्थिति में पश्चात्वर्ती अतिचार मानते हुए आदेश पारित किये गये है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गई है। तहसीलदार व पटवारी अपीलांट की खातेदारी भूमि पर खड़ी फसल को बर्बाद करने पर उतारू है। प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर के आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर की उपस्थिति में मौका जांच के दौरान भी यह तथ्य साबित थे कि वादग्रस्त भूमि का सही तरीके से सीमाज्ञान नहीं किया गया है। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश प्रदान करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरुद्ध तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किये गये आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काशत नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने खसरे के अतिरिक्त अन्य खसरों में नाजायज काशत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश प्रसारित किये गये हैं अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में तहसीलदार के अपीलाधीन आदेश में पूर्व में बेदखली कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। सरकारी रकबे से सटकर अपीलांट की खातेदारी भूमि बताई गई है। पटवारी रिपोर्ट एवं तहसीलदार के निर्णय में अपीलांट की खातेदारी भूमि तथा अतिक्रमित सरकारी रकबे की मौका रिपोर्ट तथा आकार को स्पष्ट तौर पर नहीं दर्शाया गया है, फिर भी खसरा नम्बर 33 की 17 बीघा भूमि पर काश्त करना अतिक्रमण को साबित करता है। अतिक्रमित रकबे से फसल कुर्क करना तथा बेदखली की कार्यवाही विधि सम्मत है। परन्तु पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना साबित नहीं होने के कारण सिविल कारावास की सजा शक्तियों का अत्याधिक एवं मनमाना प्रयोग माना जायेगा।
7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास को स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, छत्तरगढ़ को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ देने का सत्यापन करवाकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।
8. निर्णय आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 03/16

निर्णय दिनांक:- 05-09-2019

1. मन्शाराम पुत्र बालूराम जाति नायक निवासी महादेववाली तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 04-01-2016 जिला कलेक्टर, बीकानेर  
व आदेश दिनांक 07-10-2015 तहसीलदार, छत्तरगढ़

उपस्थिति :-

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 04-01-2016 व तहसीलदार, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 07-10-2015 जिसके द्वारा अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास व 50 गुना तावान कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को रोही महादेववाली के खसरा नम्बर 33 में तादादी 17 बीघा राजकीय/गोचर भूमि पर नाजायज अतिचार मानते हुए तहसीलदार छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट के विरुद्ध मानमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-10-2015 द्वारा 50 गुना तावान कायम

करते हुए व तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर कोई गौर किये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छत्तरगढ़ द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तथ्य साबित था कि अपीलांट द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है ऐसीस्थिति में पश्चात्वर्ती अतिचार मानते हुए आदेश पारित किये गये है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गई है। तहसीलदार व पटवारी अपीलांट की खातेदारी भूमि पर खड़ी फसल को बर्बाद करने पर उतारू है। प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर के आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर की उपस्थिति में मौका जांच के दौरान भी यह तथ्य साबित थे कि वादग्रस्त भूमि का सही तरीके से सीमाज्ञान नहीं किया गया है। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश प्रदान करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरुद्ध तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किये गये आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काशत नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने खसरे के अतिरिक्त अन्य खसरों में नाजायज काशत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश प्रसारित किये गये हैं अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में तहसीलदार के अपीलाधीन आदेश में पूर्व में बेदखली कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। सरकारी रकबे से सटकर अपीलांट की खातेदारी भूमि बताई गई है। पटवारी रिपोर्ट एवं तहसीलदार के निर्णय में अपीलांट की खातेदारी भूमि तथा अतिक्रमित सरकारी रकबे की मौका रिपोर्ट तथा आकार को स्पष्ट तौर पर नहीं दर्शाया गया है, फिर भी खसरा नम्बर 33 की 17 बीघा भूमि पर काश्त करना अतिक्रमण को साबित करता है। अतिक्रमित रकबे से फसल कुर्क करना तथा बेदखली की कार्यवाही विधि सम्मत है। परन्तु पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना साबित नहीं होने के कारण सिविल कारावास की सजा शक्तियों का अत्याधिक एवं मनमाना प्रयोग माना जायेगा।
7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास को स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, छत्तरगढ़ को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ देने का सत्यापन करवाकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।
8. निर्णय आज दिनांक 05-09-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर